न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 19/2007

उनवान

1 कल्याण पिता पन्ना जाट, निवासी जामिलपुरा, तहसील हुरडा ।

–वादी

बनाम

1 उगमा पिता छोगा, जाट, निवासी जालिमपुरा, तहसील हुरडा ।
2 काना पिता छोगा जाट, निवासी जालिमपुरा, तहसील हुरडा।
3 महादेव पिता छोगा जाट, निवासी जालिमपुरा, तहसील हुरडा।
4 घीसू पिता सुखदेव जाट, निवासी जालिमपुरा, तहसील हुरडा।
5 नारायण पिता सुखदेव जाट, निवासी जालिमपुरा, तहसील हुरडा।
6 रामलाल पिता सुखदेव, जाट, निवासी जालिमपुरा, तहसील हुरडा ।
7 श्रीमति ऐजी पत्नि सुखदेव जाट, निवासी जालिमपुरा, तहसील हुरडा।
8 तहसीलदार हुरडा, तहसील हुरडा ।
9 छोगा पिता देबी जाट, निवासी जालिमपुरा, तहसील हुरडा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री धमेन्द्र आमेठा वकील वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 29.06.2018

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर– 01 मिलकीयत कब्जेयाबी पुश्तैनी आराजीयात जिसके साबिक नम्बर– 641 रकबा 15 बिस्वा के नये नम्बर– 1666 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, 642, 643 रकबा 08 बिस्वा के नये नम्बर– 1670 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 642/643 रकबा 12 बिस्वा नये नम्बर– 1671 रकबा 12 बिस्वा, स्थित है। जो सम्वत् 2022 से 2029 के राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर– 01 से लगायत 03 के पिता श्री पन्ना, छोगा पिता देबी के नाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर– 01 से 03 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त पीढी दर पीढी चले आ रहे है।

2– सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजीयात को गलत एवं अवैध तरीके से बिना किसी आधार के प्रतिवादी नम्बर– 04 से लगायत 07 के

कर दी। तथा प्रतिवादी नम्बर– 04 से 07 के पति एवं पिता का स्वर्गवास हो जाने से विरासत से खाता प्रतिवादी नम्बर– 04 से 07 के नाम हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नम्बर– 04 से 07 आये दिन वादी को उक्त आराजीयात से निहित हिस्से से बेदखल करने हेतु आमादा होते है जिससे वादी उक्त आराजीयात में निहित हिस्से को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम कराने एवं अपने हिस्से अनुसार विभाजन करने का अधिकारी है।

3– प्रतिवादी नम्बर– 04 से लगायत 07 हाल ही दिनांक 30.11.2006 को वादी की कब्जे शुदा आराजीयात पर आये एवं कहा कि उक्त आराजीयात हमारे नाम है तथा आराजीयात का कब्जा दो तथा वादी द्वारा मना करने पर बेदखल करने पर आमादा हुये एवं वादी द्वारा प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य नही करने बाबत एवं उक्त आराजीयात को पुनः अपने नाम दर्ज कराने बाबत प्रतिवादी नम्बर– 04 से लगायत 07 को कहा तो वो साफ इन्कार हो गये एवं वादी को उक्त आराजीयात में निहित हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी जो कि प्रतिवादी 04 से 07 का उक्त कृत्य सरासर गलत होकर विधि विरुध है। उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। अगर प्रतिवादीगण नम्बर– 04 से 07 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो गलत एवं अवैध तरीके से वादी को अपने हिस्से से बेदखल करके अन्य को विक्रय कर देगें। तो वादी अपने हक हिस्से से महरुम हो जायेगा ।

4– अन्त में अंकित किया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के विरुध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावे कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी नम्बर– 04 से 07 के नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर– 01 से 03 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की डिक्री प्रदान फरमायी जावें। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नम्बर– 01 से 03 के विरुद्ध विभाजन की डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावे कि वादपत्र की कलम नम्बर–01 में वर्णित आराजीयात में निहित हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री सादिर फरमावे। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के विरुध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में निहित हिस्से के कब्जे एवं उपयोग एपभोग में दखलंदाजी उत्पन्न नही करे न करावें। यदि दौराने वाद अगर प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजीयात में निहित हिस्से से बेदखल कर देगें तो उन्हें काबिज करावाने की डिक्री फरमायी जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

5– प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7 की और से दिनांक 21.07.2009 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या– 1 व 3 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 02.03.2009 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के

09.11.2010 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या– 9 के विरुद्ध दिनांक 17.06.2014 एकतरफा कार्यवाही कार्यवाही दिये गये। प्रतिवादी संख्या– 8 के पैरोकारराज के द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

6– प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 18.01.2011 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं.–1	आया वादी व प्रतिवादी नम्बर– 1 की कब्जे शुदा पुश्तैनी साबिक आराजीयात वादपत्र की कलम नं.–1 में वर्णित अनुसार मौजा जालिमपुरा में स्थित है, जिस पर वादी, प्रतिवादी काबिज काश्त चले आ रहे है।	–वादी
तनकी नं.–2	आया वादी सेटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी नम्बर– 4 से 7 के पिता सुखदेव पिता उंकार के नाम दर्ज कर दी।	–वादी
तनकी नं.–3	आया वादी आराजी मुत0 को अपने नाम खातेदारी हक घोषणा व विभाजन करवाने के अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.–4	आया वादी वादपत्र की कलम नम्बर–3 में वर्णित कारणों से प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.–5	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 7, 8, 9 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।	–प्र.वा.
तनकी नं.–6	अनुतोष ।	–वादी

7– वादी ने अपने वादपत्र की ताहिद में पी.डब्लू–1 कल्याण जाट के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–1 पन्ना लाल के जमाबन्दी, ई.एक्स.पी–2 खसरा मिलान 2022 से 2025, ई.एक्स. पी–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2022, ई.एक्स.पी.–4 जमाबन्दी सम्वत् 2060–2063, ई.एक्स.पी.–5 भू–प्रबन्ध संशोधन भू–प्रत्रक, ई.एक्स.पी–6 जमाबन्दी खेवट खतौनी, को प्रदर्श करवाया गया। और गवाह पेश करना चाहा ।

8– तत्पश्चात पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट जालमपुरा पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हुये। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। विधिवत आवाजें लगवाई गई। वकील वादी के द्वारा प्रकरण में अतिम बहस सूने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की एकतरफा बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है, जो सम्वत् 2002–2029 के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी 1 से 3 के पिता पन्ना छोगा, पिता देबी के नाम पर दर्ज थी, जिस पर पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है। वकील वादी का बहस में यह भी कथन किया कि सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा उक्त आराजीयात को बिना किसी आधार के अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 के पिता सुखदेव पुत्र उंकार के नाम दर्ज कर दिया, तथा सुखदेव की मृत्यु के बाद विरासत से खाता प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या– 4 से 7 आये दिन वादी को उक्त आराजीयात से उनके निहित हिस्से से बेदखल करने पर आमादा होते है। इसलिये वादी उक्त आराजीयात में अपने निहित हिस्से

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा